# ग्राम पंचायत नैण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

## भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नैण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत नैण में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–**

**प्रधान :–**

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री गगन सिंह | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**सचिव :–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री प्यार चन्द | 01.04.2021 से 30.05.2021 |
| 2 | श्री सुरजीत सिंह | 31.05.2021 से 31.03.2023 |

## (ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत नैण के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

| क्र0 सं0 | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में भारी अन्तर पाया जाना । | 0.69 |
| 2 | 6 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना । | 36.08 |
| 3 | 7 | पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना । | 0.06 |
| 4 | 7.3 | विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे । | 0.04 |
| 5 | 8 | रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना। | 0.47 |
| 6 | 9 | अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान करना। | 0.03 |
| 7 | 10 | प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना | 3.11 |

## (ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। संस्था द्वारा लम्बित पैरों के

समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है।

वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

**(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021**

| क्र0 सं0 | पैरा संख्या | निर्णीत/अनिर्णीत । |
|---|---|---|
| 1 | 3 | निर्णीत । (अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त) |
| 2 | 4 | निर्णीत (जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय कांगड़ा में दिनाँक 10 से 12.01.22 के दौरान चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णित) |
| 3 | 4.1 | अनिर्णीत । |
| 4 | 4.2 | निर्णीत, (जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय कांगड़ा में दिनाँक 10 से 12.01.22 के दौरान चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णित) |
| 5 | 4.3 | अनिर्णीत । |
| 6 | 5.1 | निर्णीत । (वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित) |
| 7 | 5.2 | निर्णीत, (नवीनतम स्थिति अनुसार पैरा पुनः प्रारूपित) |
| 8 | 5.3 | निर्णीत । (जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय कांगड़ा में दिनाँक 10 से 12.01.22 के दौरान चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णित) |
| 9 | 6 | निर्णीत, (जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय कांगड़ा में दिनाँक 10 से 12.01.22 के दौरान चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णित) |
| 10 | 7 | अनिर्णीत । |
| 11 | 8 | अनिर्णीत । |
| 12 | 9 | अनिर्णीत । |
| 13 | 10 | अनिर्णीत । |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | 11 | अनिर्णीत । |
| 15 | 12 | अनिर्णीत । |
| 16 | 13 | निर्णीत, (जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय कांगड़ा में दिनाँक 10 से 12.01.22 के दौरान चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णित) |
| 17 | 14 | अनिर्णीत । |
| 18 | 15 | अनिर्णीत । |
| 19 | 16 | अनिर्णीत । |

## भाग–दो

**2. वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत नैण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.01.2024 से 05.02.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2021–22 | 07/2021 | 03/2022 |
| 2022–23 | 03/2023 | 03/2023 |

**अस्वीकरण:–** वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन

पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

**3. अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत नैण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58 दिनांक 05.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्रॉफ्ट संख्या 624889 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है ।

**4. वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत नैण, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

**(1) स्वः स्त्रोत** :– ग्राम पंचायत नैण के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 484417.74 | 194615.00 | 43378.00 | 722410.74 | 114036.00 | 608374.74 |
| 2022–23 | 608374.74 | 154175.00 | 37669.00 | 800218.74 | 134290.50 | 665928.24 |

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत नैण के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 1961066.40 | 3211984.00 | 45988.00 | 5219038.40 | 2805147.20 | 2413891.20 |
| 2022–23 | 2413891.20 | 6049768.70 | 90183.00 | 8553842.90 | 4946272.91 | 3607569.99 |

बैंक समाधान विवरणी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| Own Source,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SBM,IAY,RGSA,SDRF,SDP,MPLAD, | | | |
| A/c No. 2581000100185328 | PNB Kandwari | | 173001.2 |
| A/c No. 2581000100182084 | PNB Kandwari | | 598329.8 |
| A/c No. 2581000100185346 | PNB Kandwari | | 98245.34 |
| A/c No. 50051888016 | KCCB Padhiarkhar | | 21425 |
| A/C No. 20016007862 | KCCB Padhiarkhar | | 1275610 |
| A/C No. 88200100005178 | HGB Banuri | | 1968046 |
| A/c No. 100167500211 | Indusind Bank | | 207380 |
| cash in hand | | | 31 |
| | | Total | 4342068 |

| | | |
|---|---|---|
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source) | | 665928.2 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 ( PS) | | 1697 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (5th SFC) | | 145142 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (VKVNY) | | 109882.6 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (14th FC) | | 344449.8 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (15th FC) | | 1968046 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (SBM) | | 73318 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (SDRF) | | 33737 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 ( IAY) | | 21425 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (SDP) | | 529391.4 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 ( Fish Deppt) | | 100 |
| Cash Book Balance on 31.03.2023 (MPLAD) | | 173001.2 |
| Cash Book Balance on 1.03.2023 (RGSA) | | 207380 |
| | Total | 4273498 |
| | diffrence | 68569.8 |

**4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.69 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹68,570/– पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59 दिनांक 05.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः उक्त अन्तर के कारणों से अवगत करवाते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

**4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–**

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60 दिनांक 05.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

**5. निवेशः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । अंकेक्षणावधि

के दौरान पंचायत की सभा निधि में ₹ 4,84,418/– से ₹ 6,65,928/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 61 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक ब्याज के लिए शीघ्र सावधि में निवेश किया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार एवं नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु साविध में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

**6. अनुदान राशि ₹36.08 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹36,07,570/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन

अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अतः उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**7. पंचायत राजस्व ₹ 0.06 लाख की वसूली हेतू शेष पाया जानाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज ( वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से बसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव द्वारा फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान

₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹ 6,310/–(सम्पत्ति कर ₹ 2,110/– व दुकान किराये ₹ 4200/– के रूप में) वसूली हेतु शेष थाः–

**सम्पति कर :–**

| वर्ष | अथशेष (₹) | गृहकर की माँग (₹) | योग (₹) | प्राप्ति (₹) | वसूली हेतू शेष राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 34321 | 28000 | 62321 | 58361 | 3960 |
| 2022–23 | 3960 | 28750 | 32710 | 30600 | 2110 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹ 2,110/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

**7.2 दुकान किराये के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने बारे ।**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आय बढ़ाने हेतु चार दुकानें किराये पर दी थी परन्तु पंचायत द्वारा नियमानुसार दुकान के किराये से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा

सकी । इसके अतिरिक्त दुकान किराये के अनुबन्ध पत्र तैयार नही किये गये थे, जबकि अनुबन्ध पत्र बनाये जाने अपेक्षित थे । अतः पंचायत हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत अनुबन्ध पत्र तैयार करके नियमानुसार किराये की बढ़ौत्तरी हेतु शर्त को भी लगाया जाना सुनिश्चित करें ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि दुकान किराये के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे व अनुबन्ध पत्र तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

| वर्ष | अथशेष (₹) | दुकान किराये की माँग (₹) | योग (₹) | प्राप्ति (₹) | वसूली हेतू शेष राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 5800 | 1200 | 7000 | 0 | 7000 |
| 2022–23 | 7000 | 1200 | 8200 | 4000 | 4200 |

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार, वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

**7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–**

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क

निर्धारित दर से वसूल करने उपरान्त समय समय पर विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत नैण द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

| क्र0 संख्या | वर्ष | विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि |
|---|---|---|
| 1. | 2021–22 | 4200 |
| 2 | 2022–23 | 2200 |

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनांक 05.02.2024 के अन्तर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः उक्त उल्लेखित शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

**8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.47 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–**

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹ 46,847.50 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65 दिनांक 05.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 46,847.50 के अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग के ध्यान में लाते हुये तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक:

"0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

| बिल का विवरण | मद नाम | मात्रा (cft) | मात्रा (cum) | निर्धारित फैक्टर | मात्रा मिट्रिक टन | रॉयल्टी (प्रति मि0 टन) | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रस्तुत **परिशिष्ट–3** अनुसार वर्ष 2021–22 | रेत | 770 | 21.80 | 1.62 | 35.31 | 60 | 2119.00 |
| | बजरी | 1440 | 40.78 | 1.52 | 61.98 | 60 | 3719.00 |
| | बोल्डर | 500 | 14.16 | 2.24 | 31.71 | 60 | 1903.00 |
| | | | | | | **कुल :** | **7741.00** |
| प्रस्तुत **परिशिष्ट–3** अनुसार वर्ष 2022–23 | रेत | 2095 | 59.33 | 1.62 | 96.11 | 80 | 7689.00 |
| | बजरी | 4310 | 122.06 | 1.52 | 185.53 | 80 | 14842.00 |
| | बोल्डर | 1420 | 40.21 | 2.24 | 90.07 | 80 | 7206.00 |
| | | | | | | **कुल :** | **29737.00** |
| | | | | **कुल 2021–22 व 2022–23** | | | **37478.00** |
| | | | | | | पैनल्टी 25 % | 9369.50 |
| | | | | | | **कुल योग:** | **46847.50** |

**9. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान बारे ।**

वर्ष 2021–22 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में एग्गल क्रय हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 श्री सांई स्टील की दर 56.50 प्रति किलोग्राम अनुमोदित की गई थी तथा दर के अतिरिक्त जी0एस0टी0 अलग से लेने की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी अर्थात निविदा में दरें जी0एस0टी0 सहित भरी गई थी, लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66 दिनांक 05.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या क0–01/ग्रां0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा

अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सप्लायर द्वारा अनुमोदित दर से उपर जी0एस0टी0 वसूला गया है, जिसकी वसूली पंचायत द्वारा कर ली जायेगी :–

| वाउचर सं0 व दिनांक | बिल सं0 व दिनांक | सामग्री का विवरण | भुगतान की गई राशि | भुगतान योग्य राशि | अधिक भुगतान | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81, 04.03.22 | 2352, 14.02.22 | एन्गल 328.900 | 21928.00 | 18582.50 | 3346.50 | नि0 पंचबटी पार्क पंचायत घर 14th FC |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

**10 प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹3.11 लाख की राशि के बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–**

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹3,10,895.23 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

| | | |
|---|---|---|
| 31.03.2023 को प्रिया साफॅटवेयर में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष | ₹ | 45,84,393.23 |
| 31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष | ₹ | 42.73.498.00 |
| अन्तर | ₹ | 3,10,895.23 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

क्र0–01/ग्रा0पं0 नैण दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट बेबसाईट वाधित होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर को ठीक करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

| क्र0सं0 | रजिस्टर का प्रकार/विवरण | प्रारूप | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर | 4 | 13(5) |
| 2 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3 | विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 | 7 | 34 |
| 4 | अनुदान रजिस्टर | 8 | 34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर | 10 | 33, 77(4) |
| 6 | बजट प्राकल्लन | 11, 12 | 37, 38 |
| 7 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 8 | मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर | 27 | 72 (1)(ग) |
| 9 | माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर | | 101(2) (V) |
| 10 | वर्गीकृत सार | 8 | 29 (4) |

**12 मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–**

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका** :–इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15 **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

07 JUN 2024

का0/50
2417-2421

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)296/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज बिभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नैण, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

07 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

# परिशिष्ट–1

## अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Nain" for the year ended 2021-22

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | Interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | 1861 | 18646 | 0 | 20507 | 18810 | 1697 |
| 2 | 5 SFC | 200014 | 188518 | 0 | 388532 | 262890 | 125642 |
| 3 | VKVNY | 131040 | 172625 | 2274 | 305939 | 224558.4 | 81380.6 |
| 4 | 14TH FC | 1143103.76 | 0 | 16396 | 1159499.76 | 581630 | 577869.8 |
| 5 | 15TH FC | 316427 | 818400 | 21192 | 1156019 | 0 | 1156019 |
| 6 | SBM | 0 | 425000 | 0 | 425000 | 224539 | 200461 |
| 7 | SDRF | 68938 | 120000 | 0 | 188938 | 109009 | 79929 |
| 8 | IAY | 20216 | 0 | 614 | 20830 | 0 | 20830 |
| 9 | SDP | 0 | 654114 | 3165 | 657279 | 569094.4 | 88184.6 |
| 10 | Fish Deptt | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 99900 | 100 |
| 11 | MPLAD | 79466.64 | 0 | 2347 | 81813.64 | 35.4 | 81778.24 |
| 12 | RGSA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MNREGA | 0 | 714681 | 0 | 714681 | 714681 | 0 |
| | Total Rs. | 1961066.4 | 3211984 | 45988 | 5219038.4 | 2805147.2 | 2413891 |

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Nain" for the year ended 2022-23

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | Interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | 1697 | 0 | 0 | 1697 | 0 | 1697 |
| 2 | 5 SFC | 125642 | 247740 | 0 | 373382 | 228240 | 145142 |
| 3 | VKVNY | 81380.6 | 501020 | 5640 | 588040.6 | 478158 | 109882.6 |
| 4 | 14TH FC | 577869.76 | 0 | 4934 | 582803.76 | 238354 | 344449.8 |
| 5 | 15TH FC | 1156019 | 1581424 | 44967 | 2782410 | 814364 | 1968046 |
| 6 | SBM | 200461 | 326065 | 0 | 526526 | 453208 | 73318 |
| 7 | SDRF | 79929 | 76000 | 0 | 155929 | 122192 | 33737 |
| 8 | IAY | 20830 | 0 | 595 | 21425 | 0 | 21425 |
| 9 | SDP | 88184.6 | 1553020 | 17564 | 1658768.6 | 1129377.21 | 529391.4 |
| 10 | Fish Deptt | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | MPLAD | 81778.24 | 120000 | 4028 | 205806.24 | 32805 | 173001.2 |
| 12 | RGSA | 0 | 500000 | 12455 | 512455 | 305075 | 207380 |
| 13 | MNREGA | 0 | 1144499.7 | 0 | 1144499.7 | 1144499.7 | 0 |
| | Total Rs. | 2413891.2 | 6049768.7 | 90183 | 8553842.9 | 4946272.91 | 3607570 |

Balance as per Bank on 31.03.22

| | | |
|---|---|---|
| 1 Own Source, R&M,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP,IWMP,MPLAD, | | 173001.2 |
| A/c No. 2581000100185328 | PNB Kandwari | 598329.8 |
| A/c No. 2581000100182084 | PNB Kandwari | 98245.34 |
| A/c No. 2581000100185346 | PNB Kandwari | 21425 |
| A/c No. 50051888016 | KCCB Padhiarkhar | 1275610 |
| A/C No. 20016007862 | KCCB Padhiarkhar | 1968046 |
| A/C No. 88200100005178 | HGB Banuri | 207380 |
| A/c No. 100167500211 | IndusInd Bank | 31 |
| cash in hand | | 4342068 |
| | Total | |

| | |
|---|---|
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source) | 665928.2 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 1697 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 145142 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 109882.6 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 344449.8 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 1968046 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 73318 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 33737 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 21425 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 529391.4 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 100 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 173001.2 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 207380 |
| | 0 |
| Total | 4273498 |
| diffrence | -68569.83 |

ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नैन
ब्लाक धूमनगंज
इ. अयोध्या (फैजाबाद)

20

**Financial Position of Own sources in r/o GP Nain**

| Years | Op.Balance | Receipt | Instt. | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 484417.74 | 194615 | 43378 | 722410.74 | 114036 | 608374.74 |
| 2022-23 | 608374.74 | 154175 | 37669 | 800218.74 | 134290.5 | 665928.24 |

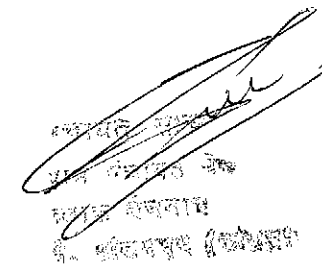

परिशिष्ट -3 पैरा -8 से संबंधित

| Name of Panchayat Nain Dev Block Baijnath | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 201-22 | | | | | | | | | | |
| Sr No | Name of Work | Head | Vendor Name | Voucher No and Date | Bill No and Date | Sand (CFT) | Bajri (CFT) | Boulder (CFT) | Bricks (Nos) | Amount |
| 01 | c/o puli Battan Chand house to downward | | Gurmukh Singh | 86 4/3/22 | 267 7/11/20 | 120 | 240 | -- | | 17640-00 |
| 02 | c/o pucca path puli retaining wall Rangila ram Hoshiar Singh Madan house to main road | SDP | Dhruv Chand Rana | 90 8/3/22 | 087 26/1/22 | 300 | 500 | 200 | | 39100-00 |
| 03 | c/o pucca path Gadiara to Shamshan ghat Banoraru | VKVNY | Dhruv Chand Rana | 88 8/3/22 | 088 26/2/22 | 150 | 300 | 300 | - | 27240-00 |
| 04 | c/o Kuhal Raj Walia house to Gurmit House | SDRF | Dhruv Chand Rana | 89 8/3/22 | 089 26/2/22 | 200 | 400 | - | - | 24600-00 |
| | Total | | | | | 770 | 1440 | 500 | | |
| | | | | | | | | | | |
| YEAR 2022-23 | | | | | | | | | | |
| 04 | c/o Protection wall near Panchayat bhawan | 14FC | Dhruv Chand Rana | 136 6/3/23 | 332 1/11/22 | 345 | 355 300 | -- | -- | 55715-00 |
| 05 | c/o jeep road Chanchal Gharat to Ranjit House | SDP | Dhruv Chand Rana | 137 6/3/23 | 334 2/11/22 | 250 | 480 200 | 95 | - | 42990-00 |
| 06 | c/o jeep Road Main Road to Des Raj House w4 | SDP | Dhruv Chand Rana | 138 6/3/23 | 331 1/10/22 | 280 | 300 250 | 200 | -- | 54200-00 |
| 07 | c/o Link Road Gurpal house to Sukhdev house | SDP | Dhruv Chand Rana | 157 20/3/23 | 343 1/1/23 | 300 | 600 | | | 50400-00 |
| 08 | c/o road Gurpal House to Sukhdev | VKVNY | Dhruv Chand Rana | 159 31/3/23 | 341 1/12/22 | 320 | 625 | 100 | -- | 56950-00 |
| 09 | c/o Pucca path Jondu house to om Parkash | VKVNY | Dhruv Chand Rana | 160 31/3/23 | 159 10/12/21 | 165 | 330 | 160 | | 25095-00 |
| 10 | c/o pucca path Gadiara to Shamshan ghat Banoraru | VKVNY | Dhruv Chand Rana | 161 31/3/23 | 161 21/3/22 | 110 | 220 | 357 | - | 24211-00 |
| 11 | c/o Retaining wall Ganju Ram house to vill kuthar | SF | Dhruv Chand Rana | 162 31/3/23 | 333 1/11/22 | 50 | 100 | - | - | 8400-00 |
| 12 | c/o pucca path puli retaining wall Rangila ram Hoshiar Singh Madan house to main road | SDP | Dhruv Chand Rana | 164 31/3/23 | 162 2/1/22 | 225 | 500 | 300 | | 38575-00 |
| 13 | c/o jeep road danga kalohli mata mandir to kamla Devi | SDP | Dhruv Chand Rana | 165 31/3/23 | 158 18/12/21 | 50 | 50 | 208 | - | 10490-00 |
| | Total | | | | | 2095 | 4310 | 1420 | | |

22

ग्राम पंचायत
ब्लॉक बैजनाथ
जि. कांगड़ा (हि.प्र.)